राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4559/2023

गणेश लाल परमार पुत्र हाजाराम परमार, उम्र लगभग 27 वर्ष, नया गाँव निचला , तहसील और जिला डूंगरपुर, (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

सचिव (प्रशासन) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री रामावतार सिंह।
प्रतिवादी(ओं) की ओर से	:	श्री विपुल धारनिया ।

माननीय श्रीमान. न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

12/03/2025

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करता है, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे उसे दिनांक 04.02.2022 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ तकनीकी सहायक-III के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने दिनांक 04.02.2022 को एक विज्ञापन जारी कर टीएसपी और नॉन-टीएसपी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी सहायक-III के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे । याचिकाकर्ता ने पूर्णतः पात्र होने के कारण इसके लिए आवेदन किया था। ऑनलाइन

लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता को 82.0000 अंक प्राप्त हुए, जिन्हें बाद में 80.36679 अंकों के लिए सामान्यीकृत किया गया।

2.1 उपरोक्त परीक्षा में सफल होने के बाद, याचिकाकर्ता को 19.01.2023 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिसमें उसने एक हलफनामे के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने का खुलासा किया गया।

2.2 याचिकाकर्ता को चयन सूची में शामिल किए जाने के बावजूद, जेवीवीएनएल ने दिनांक 03.03.2023 को आक्षेपित आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया।

2.4 राज्य सरकार ने दिनांक 15.07.2016 को एक परिपत्र जारी किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाता है जो आपराधिक मामलों, विशेष रूप से नैतिक पतन से जुड़े मामलों में शामिल होने के तथ्य को छिपाते हैं।

2.5 याचिकाकर्ता को 27.09.2020 को एक घटना में फंसाया गया, जिसके कारण प्राथमिकी संख्या 0252/2020, दिनांक 28.09.2020, उसके सहित 230 व्यक्तियों के खिलाफ पीएस डोबड़ा, डूंगरपुर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 436, 283, 269, 270, 336 और 188 के तहत अपराध के लिए दर्ज की गई। जांच के बाद, अभियुक्तों के खिलाफ चालान दायर किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। 03.03.2023 (अनुलग्नक-06) के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता तत्काल याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में लिया गया प्रासंगिक रुख इस प्रकार है:-

"3. रिट याचिका के अनुच्छेद *3* में निहित कथनों को याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित तरीके से अस्वीकार किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को अनंतिम आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी निगम द्वारा उसकी उम्मीदवारी निर्धारित नहीं की गई थी, इसके अलावा सफल उम्मीदवारों को उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रतिवादी निगम द्वारा अनंतिम रूप से बुलाया गया था।

4. रिट याचिका के अनुच्छेद *4* में निहित कथनों पर अब तक कोई विवाद नहीं है, यह रिक्तियों के *1.5* गुना सफल उम्मीदवारों की वरीयता सूची तैयार करने से संबंधित है ताकि उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सके और नियमों के प्रावधानों के अनुसार सफल उम्मीदवार का चयन किया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवार को बुलाने से याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को यह घोषित करना आवश्यक था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है या उसे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने एक शपथ पत्र दिनांक *17.01.2023* प्रस्तुत किया*(अनुलग्नक-4)* जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके विरुद्ध जेएम न्यायालय, डूंगरपुर में मुकदमा संख्या *252/2020* के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा *147, 148, 149, 341, 436, 283, 269, 270, 336* और *188* के अंतर्गत आपराधिक मामला लंबित है। विनम्र निवेदन है कि निगम में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का चरित्र अच्छा होना आवश्यक है और इस मामले में याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में संलिप्त था और उसके विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।"

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिवादी पक्ष की दलीलें सुनीं तथा प्रकरण पत्रावली तथा उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि समीक्षा समिति ने केवल प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को गलत तरीके से रोक दिया है। उनका तर्क है कि संबंधित प्राथमिकी 230 व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आरोपों पर दर्ज की गई है और याचिकाकर्ता पर कोई विशिष्ट आरोप/भूमिका नहीं लगाई गई है।

6. प्रतिपक्ष में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता **ओडिशा राज्य एवं अन्य बनाम गोबिंद बेहरा : (2021) 14 एससीसी 445** में दिए गए निर्णय पर निर्भरता प्रकट करते हैं, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:-

> *5.* प्रतिवादी राज्य पुलिस सेवा में सरकारी नौकरी चाह रहा था। सेवा में नियुक्ति के बाद, उसके कर्तव्य ज़िम्मेदारी के होंगे, जिनका मूलतः कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर प्रभाव पड़ेगा और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पद के लिए आवेदक से यह अपेक्षा करना कि वह अपने पूर्ववृत्त के बारे में मांगी गई जानकारी का खुलासा करने में सच्चा होगा, व्यक्तित्व और चरित्र के मूल्यांकन का एक उचित आधार है। नियोक्ता वैध रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, वह उसके रोजगार में रहने का हकदार नहीं है।
>
> *6.* वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के विरुद्ध मामला मामूली प्रकृति का नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि आपराधिक मामले में संलिप्त होने के बावजूद, प्रतिवादी ने राज्य पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करते समय अधिकारियों से ये तथ्य छिपाए। आरोपमुक्ति आदेश के काफी समय बाद, पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर, सीआरपीसी की धारा *482* के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय स्पष्ट रूप से असम्पोष्य है। न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन को अस्वीकार करना उचित था।

7. वह आगे **संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य : *(2018) 1* एससीसी *797*** पर निर्भर करता है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:-

> *10.* किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्ति संबंधित पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्णायक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को दोषमुक्त या आरोपमुक्त कर दिया जाता है, तो हमेशा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह झूठे मामले में शामिल था या उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। जब तक यह सम्मानजनक दोषमुक्ति न हो, उम्मीदवार मामले का लाभ नहीं ले सकता। सम्मानजनक दोषमुक्ति क्या है, इस पर इस न्यायालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिरम *[*पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिरम *, (2013) 1* एससीसी *598 : (2013) 1* एससीसी *(*क्रि*) 566 : (2013) 1* एससीसी *(*एल एंड एस*) 229]* में विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था*: (*एससीसी पृष्ठ *609*, अनुच्छेद *24)*

> *"24.* "सम्मानजनक दोषमुक्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ इस न्यायालय के समक्ष आरबीआई बनाम भोपाल सिंह पांचाल *[*आरबीआई बनाम भोपाल सिंह पांचाल*, (1994) 1* एससीसी *541: 1994* एससीसी *(*एल एंड एस*) 594]* में विचार के लिए आया था। उस मामले में, इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक आपराधिक अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक दोषमुक्त करने से निपटने वाले विनियम *46(4)* के प्रभाव पर विचार किया है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि केवल दोषमुक्त होने से किसी कर्मचारी को सेवा में बहाली का अधिकार नहीं मिलता है, दोषमुक्ति, यह माना गया था, सम्मानजनक होनी चाहिए। "सम्मानजनक दोषमुक्ति", "दोष से बरी", "पूरी तरह से दोषमुक्त" अभिव्यक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं, जो न्यायिक घोषणाओं द्वारा गढ़ी गई हैं। यह ठीक से परिभाषित करना कठिन है कि "सम्मानजनक रूप से दोषमुक्त" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार करने के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया था।"

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13. इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने से वह स्वचालित रूप से पद पर नियुक्ति के लिए हकदार नहीं हो जाता है। फिर भी यह नियोक्ता के लिए स्वतंत्र है कि वह पूर्ववृत्त पर विचार करे और जांच करे कि क्या वह पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। मेहर सिंह *[* पुलिस कमिश्नर बनाम मेहर सिंह*, (2013) 7* एससीसी *685: (2013) 3* एससीसी *(*क्रि*) 669: (2013) 2* एससीसी *(*एल एंड एस*) 910]* और परवेज खान *[*मध्य प्रदेश राज्य बनाम परवेज खान*, (2015) 2* एससीसी *591: (2015) 1* एससीसी *(*एल एंड एस*) 544]* मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि पुलिस सेवा में भर्ती किया जाने वाला उम्मीदवार अक्षुण्ण चरित्र व निष्ठा का होना चाहिए। आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति इस श्रेणी में उपयुक्त नहीं होगा। यदि उसे दोषमुक्त या बरी कर दिया जाए, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि उसे सम्मानपूर्वक दोषमुक्त/पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है। अनुवीक्षण समिति का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए जब तक कि वह दुर्भावनापूर्ण ना हो। अनुवीक्षण समिति को भी उस पर रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सजग होना चाहिए और उम्मीदवार की अत्यंत चरित्रवानता से जांच करनी चाहिए।

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

15. उपरोक्त विवरण से, हम पाते हैं कि अनुवीक्षण समिति ने प्रतिवादियों के प्रत्येक मामले और उनके बरी होने के कारणों की जांच की और निर्णय लिया। यह निर्णय लेते समय कि क्या किसी आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को बरी या दोषमुक्त किया गया है, उसे पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, वह जिस अपराध में शामिल है उसकी प्रकृति, क्या यह एक सम्मानजनक दोषमुक्ति थी या केवल संदेह के लाभ का विस्तार था क्योंकि गवाह मुकर गए थे और अभियोजन पक्ष में खामियां थीं, वे सभी पहलू हैं जिन पर अनुवीक्षण समिति को यह निर्णय लेने के लिए विचार करना था कि क्या उम्मीदवार पद के लिए उपयुक्त है। जैसा कि पहले बताया गया है, अनुवीक्षण समिति ने प्रत्येक मामले और उनके बरी होने के कारणों की जांच की और निर्णय लिया कि प्रतिवादीगण चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अपनाई गई प्रक्रिया दिशानिर्देश *2(*ए *)(* बी*)* के अनुसार है और इस तरह की अनुवीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।"

8. अब मैं आगामी भाग में कारणों और उन पर चर्चाओं को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा ऊपर उद्धृत निर्णयों पर प्रकट की गई निर्भरता गलत प्रतीत होती है। हालांकि इस पूर्वधारणा पर कोई विवाद नहीं है कि पुलिस सेवाओं में नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही में बरी या दोषमुक्त होने का लाभ नहीं उठा सकता है। पुलिस सेवाओं में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त निस्संदेह उस अपराध में उसकी संदिग्ध दोषिता पर हावी होंगे जिसमें अभियोजन पक्ष किसी भी संदेह से परे उसके अपराध को साबित करने में विफल रहा, वह भी नियोक्ता द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति चाहता है। समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विवेक प्रयोग नहीं किया गया है,

बल्कि केवल यह कहकर किया गया है कि चूँकि आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए उस पर निर्णय आने तक याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती। त्वरित संदर्भ के लिए, समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है ; -

> *"*प्रकरण संख्या-*4:* श्री गणेश लाल परमार, तकनीकी सहायक-*III* भर्ती वर्ष-*2021*।
>
> बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री गणेश लाल परमार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक *21.04.2023* के अनुसार तकनीकी हेल्पर-*2021* का एक पद रिक्त रहेगा।*"*

10. इसी पीठ द्वारा दिए गए दिनांक 30.01.2024 के आदेश/निर्णय, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 18747/2019 (पतराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) का संदर्भ लिया जा सकता है। इसमें उल्लिखित टिप्पणियाँ और अनुपात, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:

> *"6.* याचिकाकर्ता के मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर देखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई जानकारी नहीं छिपाई। कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने स्वेच्छा से श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए, *406, 323, 354* के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या *309/2019* की जानकारी दी थी, जिसकी शुरुआत वैवाहिक कलह के कारण उनकी अलग रह रही पत्नी ने की थी। इसके अतिरिक्त, इस प्राथमिकी से संबंधित आपराधिक मुकदमा याचिकाकर्ता को बरी किए जाने के साथ समाप्त हो गया है।
>
> *7.* इस स्तर पर याचिका को अनुमति न देने का एकमात्र विरोध प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, *2016 (8)* एससीसी *471* में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भरता प्रकट करना है।
>
> *8.* उक्त फैसले को पढ़ने के बाद, यह ध्यान में रखना होगा कि उम्मीदवारों को अपने नियोक्ताओं को, रोजगार से पहले और बाद में, बिना किसी दमन या झूठे बयान के, दोषसिद्धि, बरी होने, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सच्चाई से जानकारी देनी चाहिए। नियोक्ताओं को, गलत जानकारी के कारण सेवाएं समाप्त करते या उम्मीदवारी रद्द करते समय, विशेष परिस्थितियों और संबंधित सरकारी नियमों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आपराधिक मामले में शामिल होने के बारे में दमन या गलत जानकारी है, तो उसकी प्रकृति के आधार पर उचित

> कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्रों की शुद्धता एवं विशिष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा तथ्यों के दमन अथवा मिथ्या प्रस्तुतीकरण के लिए दोषसिद्धि हेतु उस तथ्य का आरोपणीय ज्ञान होना आवश्यक है। निःसंदेह, नियोक्ता प्रकटित सूचना पर विचार करने में अपना विवेकाधिकार बनाए रख सकते हैं तथा सत्य प्रकटीकरण किए जाने पर भी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें अनेक लंबित मामले हों या गंभीर आपराधिक अपराध हों।
>
> *9.* इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी तरह के दमन या छिपाने का आरोप नहीं है। यहाँ तक कि जिस समय वह अपराध में लिप्त था, उस समय उसके द्वारा किए गए अपराधों ने भी याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया। बहरहाल, वह किसी भी मामले में दोषमुक्त है और उसने स्वयं को निर्दोष सिद्ध किया है।
>
> *10.* मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उस पद पर नियुक्ति देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है।

11. पतराम मामले में दिए गए निर्णय को राज्य द्वारा चुनौती दी जा रही है, लेकिन अपील दायर होने के बाद भी खंडपीठ में सूचीबद्ध कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, अपील अभी तक पंजीकृत भी नहीं हुई है और वर्तमान में आपत्तियों के तहत रजिस्ट्री में लंबित है।

12. इसके अलावा, मैं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि चूँकि रिट याचिका इस न्यायालय में लंबित है, इसलिए समीक्षा समिति ने अपना विवेक प्रयोग नहीं किया। इस न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है जिससे रिट कार्यवाही लंबित रहने के दौरान समीक्षा समिति को अपना विवेक प्रयोग करने से रोका जा सके और इसके मद्देनजर, समीक्षा समिति द्वारा दिया गया यह तर्क कि चूँकि आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती, टिकाऊ नहीं है।

13. न तो इस बात पर कोई टिप्पणी है कि याचिकाकर्ता को क्या भूमिका सौंपी गई है, न ही इस बात पर कोई निष्कर्ष है कि अपराध या उस पर लगाई गई भूमिका नैतिक अधमता के बराबर है और न ही इस बात पर कोई टिप्पणी है कि लंबित मुकदमा उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति को कैसे बाधित कर सकता है।

14. इस आधार पर, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कदम उठाएँ, बशर्ते कि वह एक वचनबद्धता/शपथपत्र दे कि यदि उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही में उसे दोषी ठहराया जाता है, तो वह वर्तमान अंतरिम आदेश के आधार पर किसी भी न्यायसंगतता का दावा नहीं करेगा और प्रतिवादी उसे पूर्व सूचना देकर कानून के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. रिक्ति के संबंध में, दिनांक 21.04.2023 के अंतरिम आदेश के तहत, तकनीकी सहायक-III के एक पद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ, जिसने उस समय मामले पर विचार किया था, ने निम्नलिखित शब्दों में रिक्त रखने का निर्देश दिया गया था:-

> "नोटिस जारी करें, जिसका उत्तर *08.05.2023* को दिया जाना है। स्थगन आवेदन का भी नोटिस जारी करें।
>
> इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी विभाग के स्थायी अधिवक्ता को रिट याचिका की एक प्रति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
>
> इस दौरान और अगली सुनवाई की तिथि तक, दिनांक *04.02.2022 (*अनुलग्नक *1)* के विज्ञापन के अनुसार तकनीकी सहायक ग्रेड-*III* का एक पद रिक्त रखा जाएगा।

16. उपरोक्त स्थगन आदेश आज भी जारी है।

17. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठता और काल्पनिक लाभ उसी तिथि से प्रदान किए जाएँगे जिस तिथि से उसके समकक्षों को नियुक्ति पत्र

जारी किए गए थे, जिनके साथ उसने उसी विज्ञापन के आधार पर प्रतिस्पर्धा की थी। जहाँ तक वित्तीय लाभों का प्रश्न है, वह 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर इसके हकदार नहीं होंगे।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

96-धनंजयएस/ राममाथुर /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी